

22/12/2022 पत्रावली पेश हुई / वकील वादीगण एवं  
वादीगण को रुक रुक कर आवाज लगावा  
गयी। वादीगण एवं वादीगण के वकील  
उपास्थित नहीं आये एवं ना ही उनकी ओर  
से अधिकृत विधिक व्यक्त उपास्थित ही

अतः वाद अदम परवी अदम हाजरी में  
स्वारिज किया जाता है।

वाद फैसल शुमार होकर हाथ जाता  
कार्यक दफ्तर ही।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2022 को करे  
इजलास सुनाया गया।

५५  
उपस्थित अधिकारी  
कोलापत जिला-बीकानेर